**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.**

अपील संख्या 2017/00256 (42/2017) 225 आरटीएक्ट

मनीराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. जोतराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नेाहर।
3. मनफूल
4. सुलतान
5. श्रवण
6. झन्डूराम
7. रामचन्द्र
8. महावीर
9. मांगीलाल

} पि0 लुणाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर

10. मदनलाल
11. देवीलाल
12. सरस्वती

} पुत्र/पुत्रीयान मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.02.2017 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 52/2016 बअनवानी जोतराम बनाम मनीराम आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2

निर्णय दिनांकः– 09.6.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है [illegible] स्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की [illegible] प्रार्थना–पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना–पत्र में अपनी खातेदारी भूमि चक 1 टी.के.एम. (थालड़का) तहसील नोहर में स्थित भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की प0 नं0 224/400 के मु0 नं0 16 के किला नं. 21 ता 23 पश्चिम से पूर्व दक्षिणी बाउण्डरी के पास प्रत्येक किले में 1–1 गट्ठा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने इस इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु पहले से ही सुविधाजनक रास्ता एवं निकटतम रास्ता मु0 नं0 9 के किला नं0 25 में है, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ना तो निकटतम है एवं ना ही उचित है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से रेस्पो0 के कथनों से असहमति व्यक्त करते हुए इन्कारी की थी। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नक्शा एवं जमाबंदी से यह कतई स्पष्ट था कि रेस्पो0 के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेण्ट को सं0 1 को अपनी भूमि के लिए केवल मात्र किला नं. 25 में ही रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता थी एवं इसी रास्ता से रेस्पो0 सं0 1 प्रार्थी व अन्य सह काश्तकारान अपनी भूमि में निकटतम एवं सुविधाजनक तरीके से प्रवेश कर सकते हैं इसके अलावा मु0 नं0 9 के किला नं0 1 व 2 में से भी वे रास्ता स्वीकृत करवा सकते हैं। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु दो रास्ते उपलब्ध हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 251 ए के तहत रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नही किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट के पास चक 2 टीकेएम के मु. नं0 9 के किला नं. 1 व 2 में व दूसरा विकल्प इसी मु0 नं0 के किला नं0 25 में रास्ता स्वीकृति अपीलाण्ट ने उज्र किये थे। जिस पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है। यही रास्ता सुवधिाजनक एवं निकटतम है इसी रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता रहा है। अपीलाण्ट के द्वारा रास्ते बन्द कर दिया गया तो रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि में आवगमन नहीं कर सकेगा। जिससे रेस्पो[illegible] असुविधा एवं परेशानी होगी। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत [illegible] अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 440 व 2018 आरआरटी पेज 1193 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट ने प्रकरण में रेस्पोडेण्ट कोचक 2 टीकेएम की भूमि में से रास्ता देने से दो किला चलना पडेगा का कथन किया है। जबकि रेस्पोडेण्ट सं0 1 की भूमि चक 1 टीकेएम में है और वह चक 1 टीकेएम मे रास्ता लेना चाहता है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा बताया गया रास्ता संतोषजनक नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि चक की पत्थर लाईन पर भी है। केवल अपनी भूमि में रास्ता नहीं देने के कारण अन्य की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का कथन किया है जो न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय ने उपरौक्तानुसार वैकल्पिक रास्ते के संबंध में अपना विवेचन किया है एवं तहसीदार की रिपोर्ट के आधार पर चक 1 टीकेएम के प0 नं0 224/400 (16) के किला नं. 21 ता 23 पश्चिम से पूर्व दक्षिणी बाडण्डरी के पास स्वीकृत रास्ते को न्यायोचित मानते हुए रास्ता स्वीकृत किया। अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाण्ट को रास्ते की में आई भूमि के बदले में भूमि दी जा गई है। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने अन्य कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/6/22

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:44 IST
Reason: SelfAttested